...........................क्षेत्रफल

द में अविभक्त पूर्णरूपेण स्वा

ामित्व संबंधी स्वत्वों सहि

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB REGISTRAR, KUMHER
KUMHER
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 2013000205 Dated : 05/02/2013
Presenter Name : E.O. NAGAR PALIKA KUMHER Face Value : 55900
Presenter Address : KUMHER
Document Type : Lease deed for local bodies (Patta)
Claimant Name : SHRI RATAN SINGH SHIKSHAN PRAKSHIKAN SANTHAN SEC. HARIOM, KUMHER
Document S.No. : 2013000387 Stamp Value : 0

Ordinary Registration Fee	: 560	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 300	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandum u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 2800
Surcharge on Stamp Duty	: 280		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 3940

Amount Rs. Three Thousand Nine Hundred Forty only

Cashier

Sub Registrar KUMHER

उप पंजीयक
कुम्हेर (भरतपुर) राज.

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पालिका मण्डल कुम्हेर (भरतपुर)

(नगर निकाय का नाम)

क्रमांक दिनांक......

राजस्थान नगरिय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और ...) 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष................के माह......................के ......[illegible]...... के दिन नगर पालिका मण्डल कुम्हेर (जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर सम्वोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री ......[illegible]...... पुत्र श्री ......[illegible]...... जाति......[illegible]......व्यवसाय......[illegible]......निवासी......[illegible]......(जिनकी इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबादत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होगें ।) के मध्य निष्पादित हुआ है ।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना......................राजस्व ग्राम......कुम्हेर......के खसरा संख्या......2152......क्षेत्रफल......0.28......0.12......में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है । और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरिय निर्धारण (शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) के तौर रूपये......[illegible]......अंकेन......[illegible]......मात्र पेशगी अदा करेगा परन्तु लीजधारक यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा जो उस वर्ष जिसमें राशि जमा कराई जाती है को सम्मलित करते हुये पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गई नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
2. एक बार नियत किया गया नगरिय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 बर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी ।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिये होगे ।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल......[illegible]......प्रयोजन जिसके लिये नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गई के लिये किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा ।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 बर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अर्न्तगत बढा दी जावें लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जावेगा ।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरिक या उप-पट्टे पर दे सकेगा । उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित अन्तरिति या उप-पटटेदार पर इस प्रकार लागू होगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरिम किया गया है लीजधारक द्वारा उप पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी । किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी । उप पट्टे उक्त नियमों में विहिप समस्त अन्य निबंधनों निमित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये शासित होगें ।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिये नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेगें ।प्रत्येक अन्तरण के लिये आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोइ फीस प्रभारित नहीं की जायेगी ।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक / बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीज धारक से वसूलीय होगा ।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनो और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेगे और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिये दायी नही होगा ।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार / जीवन बीमा निगम / शिड्यूल्ड बैंक / सरकार ऋणदात्री संस्था/ एच.डी. एफ.सी अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत के ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिये बंधक रखा जा सकेगा ।

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम ...... कुम्हेर राजस्व ग्राम ...... कुम्हेर खसरा नम्बर ...... 2132, 2133 योजना का नाम ...... पट्टा विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर	पूर्व ...... परिशिष्ट ...... पुखण्ड की संख्या कोई हो ...... सीमा उत्तर ...... मानचित्र संलग्न है ।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है ।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20............के माह......................क......................वें
दिन श्री ....
......................ने निम्न की उपस्थिति में
(स्थान) हस्ताक्षर किये –

नगरनिकाय – प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1 नाम ...... परमानन्द शर्मा
पुत्र ...... निजमोहन शर्मा
व्यवसाय ...... सविदा कर्मी
निवास स्थान ...... कुम्हेर

...... परमानन्द
साक्षी

2 नाम ...... राजेन्द्र प्रसाद
पुत्र ......
व्यवसाय ......
निवास स्थान ...... कुम्हेर

...... राजेन्द्र प्रसाद
साक्षी

आज सन् 20.........के माह......................के.............
वें दिन को निम्न की उपस्थिति में उक्त श्री....................
....
लीजधारक द्वारा कार्यालय..........................में हस्ताक्षर
किये गये –

....
लीज धारक – द्वितीय पक्ष

1 **साक्षी :-**
नाम ......
पुत्र ......
व्यवसाय ......
निवास स्थान ...... कुम्हेर

......
साक्षी

2 नाम ......
पुत्र ......
व्यवसाय ......
निवास स्थान ...... कुम्हेर

......
साक्षी

अध्यक्ष
नगरपालिका कुम्हेर (भरतपुर)

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका कुम्हेर (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

नक्शा भूमि रूपान्तरण पट्टा हेतु सचिव श्री हरिओम ... शिक्षण
प्रशिक्षण संस्थान कस्बा कुम्हेर जिला भरतपुर राज.

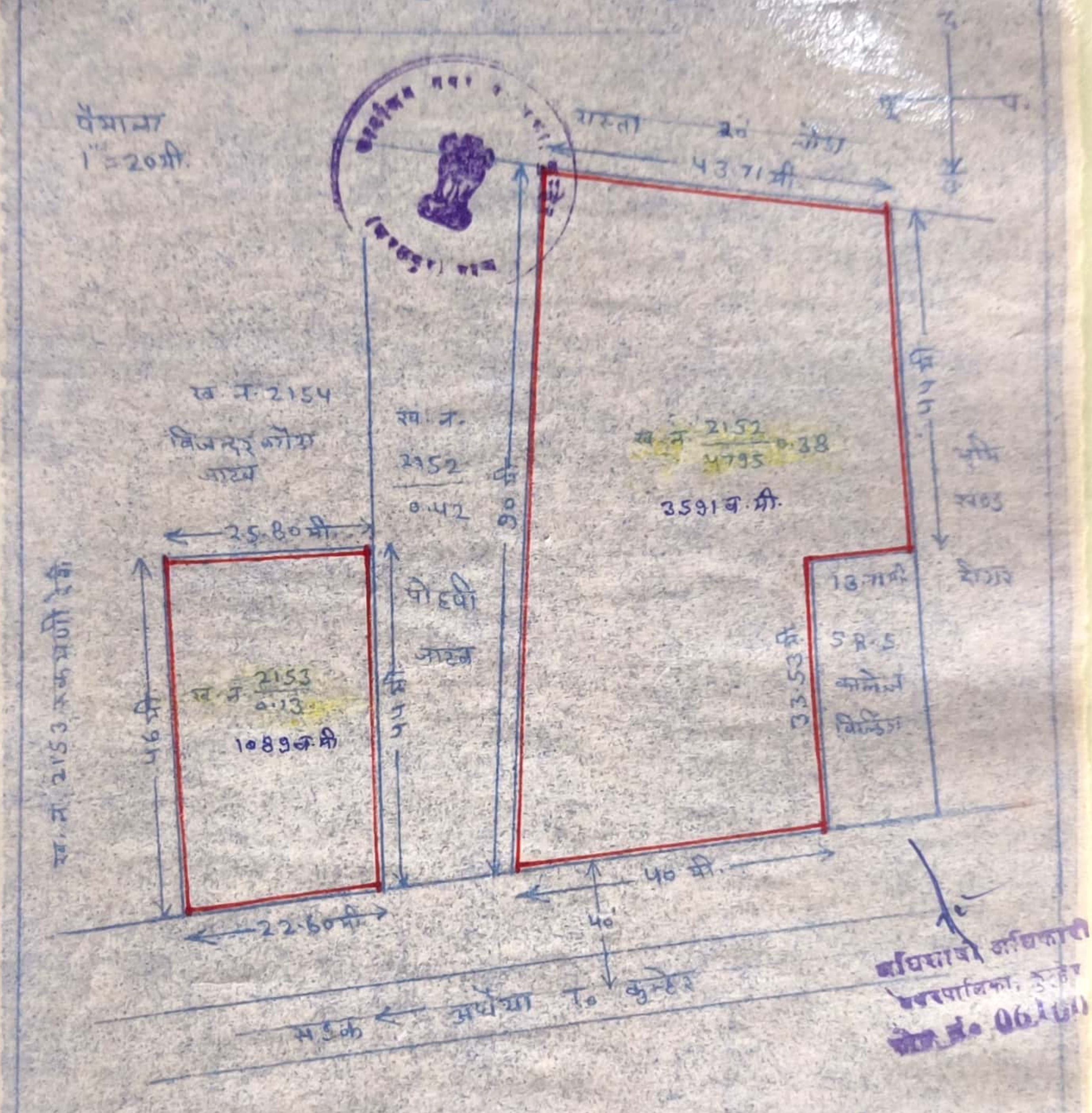

नोट — सुर्ख रंग से सीमित भूमि खण्ड पट्टा हेतु दरशाये गये है / 5590 व.ग.

हस्ता.

सचिव
श्री रतनसिंह शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
कुम्हेर (भरतपुर)

28-01-2013
DRAWN BY

Scanned with CamScanner

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)	हस्ताक्षर	फोटो	अंगूठा
1-E.O. NAGAR PALIKA KUMHER/A Age:0, Caste- Ocu.-G R/O-KUMHER			
(And Claimant) 1-SHRI RATAN SINGH SHIKSHAN PRAKSHIKAN SANTHAN SEC. HARIOM/AMAR SINGH Age:0, Caste-JAT Ocu.-G R/O-KUMHER			

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 55900 / – पूर्व में / मेरे
समक्ष / पे सें रू0 55900 / – पूर्व में ________
समेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री / श्रीमती / सुश्री KRISHAN KUMAR
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री GIVIND SINGH उम्र 0 वर्ष
जाति JAT व्यवसाय FARMER
निवासी KUMHER

2. श्री / श्रीमती / सुश्री KHUMENDRA GARG
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री SEETARAM GARG उम्र 0 वर्ष
जाति VAISHY व्यवसाय FARMER
निवासी KUMHER ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2013000387)
(Lease deed for local bodies (Patta))

उप पंजीयक, KUMHER

आज दिनांक 5 माह February सन् 2013 को 16:29 बजे
श्री / श्रीमती / सुश्री E.O. NAGAR PALIKA KUMHER पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री A
उम्र 0 वर्ष जाति ________ व्यवसाय G
निवासी KUMHER
ने यह सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, KUMHER
(2013000387)
(Lease deed for local bodies (Patta))

रसीद नं0 2013000205 दिनांक 05/02/2013
पंजीयन शुल्क रू0 500/
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/
अन्य शुल्क रू0 280/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 2800/-
कुल योग रू0 3940/-

(2013000387) उप पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))

Scanned with CamScanner

धारा 54 के तहत प्रमाण पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 66900
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 2800 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 560 कुल रूपये 3940
जरिये रसीद संख्या 2013000206 दिनांक 05/02/2013
में जमा किये गये हैं।
अतः दस्तावेज को रूपये 2800
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2013000387) उप पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))

आज दिनांक 05/02/2013 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 405
में पृष्ठ संख्या 153 क्रम संख्या 2013000320 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1010
के पृष्ठ संख्या 13 से 18 पर
चस्पा किया गया।

(2013000387) उप पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))

Scanned with CamScanner

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB REGISTRAR, KUMHER
KUMHER
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

. : 2013000094   Dated : 11/01/2013
Name : E.O.NAGAR PALIKA KUMHER   Face Value : 15707
Address : KUMHER
ype : Lease deed for local bodies (Patta)
ame : HARIOM SACHIV RATAN SINGH EDUCATION DEPARTMENT , KUMHER
.No. : 2013000140   Stamp Value : 0

egistration Fee	: 160	Commission Fee	: 0
ing/Inspection Fee	: 200	Custody Fee	: 0
morandom u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 790
on Stamp Duty	: 80		
/s 25-34	: 0		

TOTAL : 1230

Rs. One Thousand Two Hundred Thirty only

1 लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें प्रत्येक व

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, कुम्हेर (भरतपुर) राज०

(नगर निकाय का नाम)

क्रमांक

दिनांक.......................

राजस्थान नगरिय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष................के माह.....................के ....वे दिन नगर पालिका मण्डल कुम्हेर (जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर सम्बोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री .... पुत्र श्री .... जाति.................व्यवसाय.................निवासी.................(जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबादत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक प्रबंधके, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होगें ।) के मध्य निष्पादित हुआ है ।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना........................राजस्व ग्राम.....कुम्हेर.........के खसरा संख्या.......2151......क्षेत्रफल.........1427.77........में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है । और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्ते और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरिय निर्धारण (शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) के तौर रूपये.........17141.........अंकेन.................. मात्र पेशगी अदा करेगा परन्तु लीजधारक यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा जो उस वर्ष जिसमें राशि जमा कराई जाती है को सम्मलित करते हुये पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बरावर होगी और इस प्रकार जमा कराई गई नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
2. एक बार नियत किया गया नगरिय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 बर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्वि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी ।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिये होगे ।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल.....शिक्षण संस्थान.....प्रयोजन जिसके लिये नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गई के लिये किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा ।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 बर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अर्न्तगत बढा दी जावें लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जावेगा ।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरिक या उप-पट्टे पर दे सकेगा । उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित अन्तरिति या उप-पटटेदार पर इस प्रकार लागू होगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरिम किया गया है लीजधारक द्वारा उप पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी । किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी । उप पट्टे उक्त नियमों में विहिप समस्त अन्य निबंधनों निमित विनिर्दिष्ट मामलेां में जारी किये जाये शासित होगें ।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिये नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेगें ।प्रत्येक अन्तरण के लिये आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोइ फीस प्रभारित नहीं की जायेगी ।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक / बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीज धारक से वसूलीय होगा ।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनो और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेगे और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिये दायी नही होगा ।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार / जीवन बीमा निगम / शिड्यूल्ड बैंक / सरकार ऋणदात्री संस्था/ एच.डी. एफ.सी अथवा नेशनंल बैंक द्वारा अधिकृत के ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिये बंधक रखा जा सकेगा ।

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम......कुम्हेर......
राजस्व ग्राम......कुम्हेर......
खसरा नम्बर......2152......
योजना का नाम......
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर........
......

पूर्व......110......पश्चिम......11.10 फुट......भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो......सीमा उत्तर......35 फुट......दक्षिण......35 फुट......मानचित्र सलंग्न है ।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है ।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20..........के माह......................क......................वें
दिन श्री ......
......निम्न की उपस्थिति में
......किये -

नगरनिकाय - प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

......
......
......
......

......
साक्षी

......
......
......
निवास स्थान......

......
साक्षी

आज सन् 20........के माह......................के............
वें दिन को निम्न की उपस्थिति में उक्त श्री......................
......
लीजधारक द्वारा कार्यालय..........................में हस्ताक्षर
किये गये -

......
लीज धारक - द्वितीय पक्ष

1 साक्षी :-
नाम......भरत लाल......
पुत्र......बालकिशन......
व्यवसाय......व्यापार......
निवास स्थान......कुम्हेर......

......
साक्षी

2 नाम......अमरसिंह......
पुत्र......रतनसिंह......
व्यवसाय......
निवास स्थान......कुम्हेर......

......
साक्षी

अध्यक्ष
नगरपालिका कुम्हेर (भरतपुर)

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका कुम्हेर (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

नकशा भूमिखण्ड पट्टा हेतु श्री रत्नसिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान वास्ते अघैया रोड कस्बा कुम्हेर जिला भरतपुर (राज.)

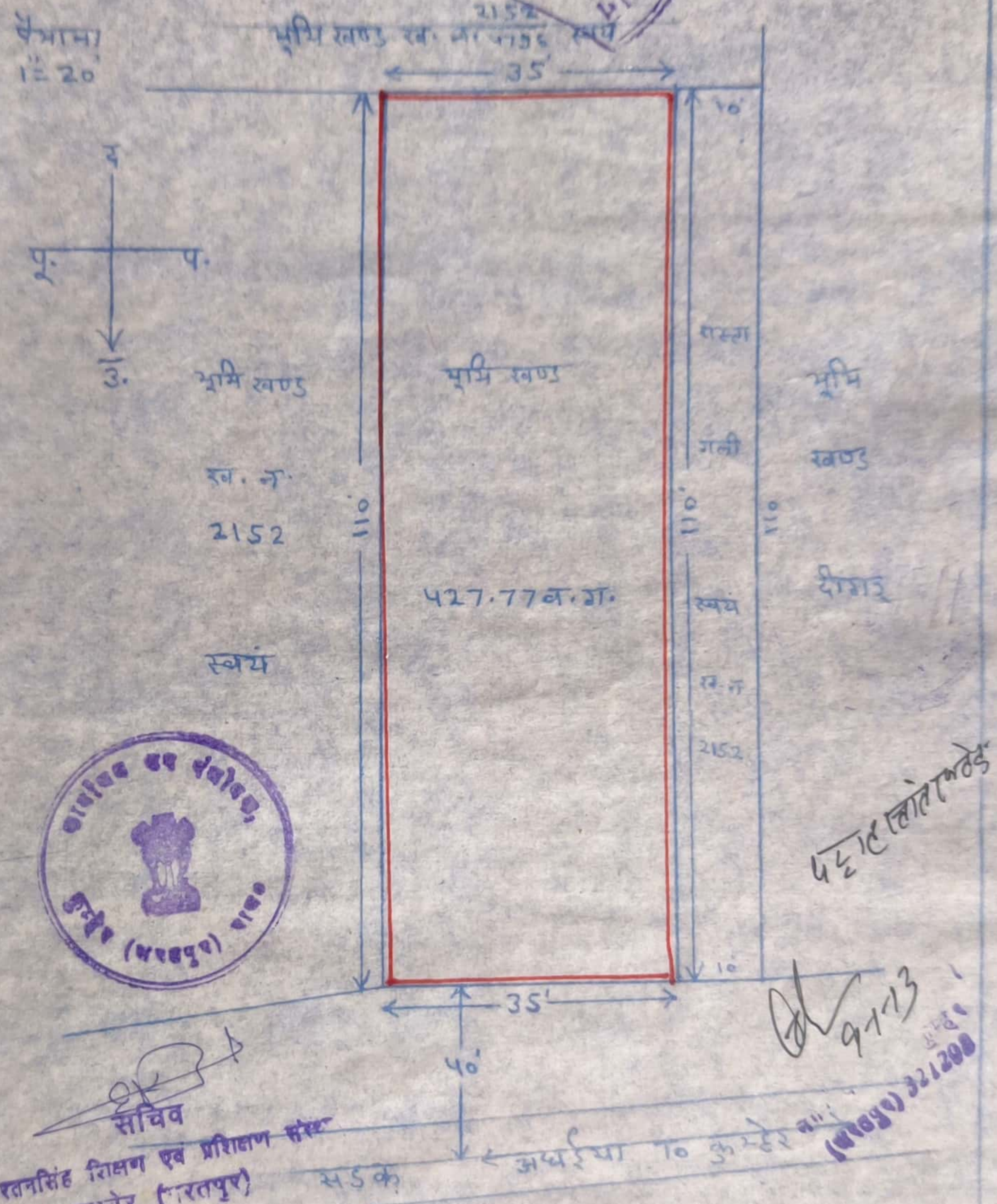

नोट- नकशा सचिव हरिओम के बताये अनुसार कशीद किया गया है।

— सुर्ख रंग से सीमित भूमिखण्ड श्री रतनसिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान हेतु दरशाया गया है।

हस्ता.

23-11-2012

आज दिनांक 11 माह January सन् 2013 को 17:33 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री E.O. NAGAR PALIKA KUMHER पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री A
उम्र 0 वर्ष, जाति __________ व्यवसाय G
निवासी KUMHER
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, KUMHER
(2013000141)
(Lease deed for local bodies (Patta))

रसीद नं0 2013000095 दिनांक 11/01/2013
पंजीयन शुल्क रू0 4700/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 2350/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 23490/-
कुल योग रू0 30840/-

(2013000141) उप पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))

Scanned with CamScanner

	हस्ताक्षर	फोटो	अंगूठा
उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant) 1-E.O.NAGAR PALIKA KUMHER/A Age:0, Caste- Ocu.-G R/O-KUMHER (And Claimant) 1-HARIOM SACHIV RATAN SINGH EDUCATION DEPARTMENT /A Age:0, Caste- Ocu.- R/O-KUMHER ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 15707 / – पूर्व में / मेरे समक्ष / मे सें रू0 15707 / –पूर्व में ——— यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया। उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान 1. श्री / श्रीमती / सुश्री BHARATLAL पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री BALKISHAN उम्र 0 वर्ष जाति व्यवसाय FARMER निवासी KUMHER 2. श्री / श्रीमती / सुश्री AMAR SINGH पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री RATAN SINGH उम्र 0 वर्ष जाति व्यवसाय FARMER निवासी KUMHER ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।			

(2013000140) उप पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))

Scanned with CamScanner

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 469807
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 23490 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 4700 कुल रूपये 30840
जरिये रसीद संख्या 2013000095 दिनांक 11/01/2013
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 23490
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2013000141) उप पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))

आज दिनांक 11/01/2013 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 404
में पृष्ठ संख्या 156 क्रम संख्या 2013000123 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1006
के पृष्ठ संख्या 15 से 20 पर
चस्पा किया गया।

(2013000141) उप पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))

Scanned with CamScanner